सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी

को समर्थन देने के लिए योजना एवं दिशा-निर्देश

!ndia
INFRASTRUCTURE
Building for Growth

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी

को समर्थन देने के लिए योजना एवं दिशा-निर्देश

2008

© आर्थिक कार्य विभाग
सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक
पीपीपी प्रकोष्ठ
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
भारत
www.pppinindia.com

रूपांकित एवं मुद्रित
मैक्रो ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
www.macrographics.com

2008

विषय-सूची

शब्दावली ii

प्राक्कथन iii

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने हेतु दिशा-निर्देशः अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण योजना 1

1. प्रस्तावना 1
2. संस्थागत संरचना 1
3. प्रयोज्यता 1
4. अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा मूल्यांकन और 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन 2
5. अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण 3
6. बोली के लिए आमंत्रण 3
7. अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन 3
8. अर्थक्षमता अन्तर निधि का संवितरण 4
9. निगरानी 4

अनुबंध 5

अनुबंध-I योजना एवं दिशा-निर्देश अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की योजना 5

अनुबंध-II संस्थागत ढांचा 10

अनुबंध-III सरकारी निजी भागीदारी के लिए ज्ञापन 12

परिशिष्ट-क प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ से संबंधित प्रमाण-पत्र 16

परिशिष्ट-ख परियोजना के लिए अनुदान अवधि संबंधी प्रमाण-पत्र 17

परिशिष्ट-ग कुल परियोजना लागत से संबंधित प्रमाण-पत्र 18

परिशिष्ट-घ अनुदान करार का संक्षिप्त विवरण 19

त्रिपक्षीय करार 21

योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु दिशानिर्देश 34

शब्दावली

बीओओटी	बनाओ, चलाओ, स्वामित्व रखो, अन्तरण करो
बीओटी	बनाओ, चलाओ, अन्तरण करो
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
एफआई	वित्तीय संस्था
जीओआई	भारत सरकार
एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य
ओ एण्ड एम	संगठन एवं पद्धति
पीपीपी	सरकारी निजी भागीदारी
वीजीएफ	अर्थक्षमता अन्तर का वित्तपोषण

प्राक्कथन

सतत् आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक और समावेशी विकास के लिए उच्चकोटि की अवसंरचना का उपलब्ध होना एक पूर्वापेक्षा है।

निजी क्षेत्र अवसंरचना की व्यवस्था करने के प्रति निरन्तर सजग रहा है और इसी कारण से इस कार्य से जुड़ा रहा है। यह संलिप्तता निजी और वाणिज्यिक उद्यमों की कार्यकुशलता के साथ-साथ अवसंरचना घाटे को पूरा करने की जरूरत के मुकाबले सीमित सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों को बढ़ाने के लिए जरूरी थी।

निजी क्षेत्र की संलिप्तता के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में निर्णय एक चुनौती बन रहा है, विशेष रूप से जहाँ बाह्य निवेशों की कमी बनी हुई हो। अवसंरचना परियोजनाओं की प्रतिलाभ दर प्रायः सामाजिक तौर पर ऊँची लेकिन वाणिज्यिक तौर पर अस्वीकार्य होती है। सामान्यतः भारी भरकम निवेश, लम्बी परिपक्वता अवधि, निश्चित प्रतिलाभ आदि इन निवेशों की खास विशेषताएं रही हैं जिनकी वजह से उपयुक्त वित्तीय लिखतों और प्रोत्साहनों के माध्यम से अवसंरचना के वित्तपोषण में सरकारी सहायता जरूरी हो जाती है। कारगर और पारदर्शी आबंटन आधार के माध्यम से सामाजिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकारी सहायता के एक उपकरण के रूप में पूंजी अनुदान को एक आर्थिक साधन माना गया है।

आर्थिक दृष्टि से अनिवार्य परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए वित्तपोषण के अन्तर को पूरा करने से ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकारी निधिकरण की जरूरत समाप्त हो जाएगी और परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति मिलेगी

अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता देने की दृष्टि से अवसंरचना में पीपीपी को सहायता देने की योजना (अर्थक्षमता अन्तर निधिकरण योजना) 2004 में घोषित हुई थी और इसे प्रचालित करने के तौर तरीकों ने वर्ष 2005 तक मूर्त रूप लिया था। इस योजना का उद्देश्य पीपीपी ढांचे के माध्यम से अवसंरचना के प्रति व्यापक पहुंच को सुनिश्चित करना है जिस पर होने वाली पूँजीगत लागत की प्रतिपूर्ति आर्थिक सहायता से की जाएगी। आर्थिक दृष्टि से अनिवार्य परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए वित्तपोषण के अन्तर को पूरा करने से ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकारी निधिकरण की जरूरत समाप्त हो जाएगी और परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति मिलेगी। इस प्रकार अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की कार्यकुशलताएं सुसाध्य होंगी।

सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली अवसंरचना परियोजनाओं को यह योजना अनुदानों के रूप में एकमुश्त अथवा आस्थगित तरीके से वित्तीय सहायता मुहैया कराती है ताकि उन्हें वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। यह योजना कुल परियोजना लागत के बीस प्रतिशत तक कुल अर्थक्षमता अन्तर का वित्तपोषण उपलब्ध कराती है। सरकार अथवा परियोजना को अपनाने वाली सांविधिक इकाई यदि निर्णय लेती है तो, कुल परियोजना लागत

के और बीस प्रतिशत तक अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान मुहैया करा सकती है। योजना के अन्तर्गत अर्थक्षमता अन्तर का निधिकरण परियोजना निर्माण की अवस्था में सामान्यतः पूंजीगत अनुदान के रूप में होता है।

अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2006 में जारी किए गए थे। अनिवार्य रूप से योजना के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए दिशा-निर्देश सीसीईए द्वारा 2005 में अनुमोदित किए गए थे जो पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अन्तर का निधिकरण चाहने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों हेतु अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

प्रायोजक प्राधिकरण 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारम्भिक 'विचारार्थ पात्रता' प्राप्त कर सकता है

तदनन्तर, यह महसूस करते हुए कि परियोजना दस्तावेजों को तैयार करने की प्रक्रिया एक विस्तृत, जटिल और समय खपाने वाली प्रक्रिया है, वित्त मंत्रालय ने इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकार्यता की जांच हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रायोजक प्राधिकरण 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारम्भिक 'विचारार्थ पात्रता' प्राप्त कर सकता है। आर्थिक कार्य विभाग 'विचारार्थ पात्रता' प्रोफार्मा की जांच करेगा और यह सूचित करेगा कि क्या प्रस्ताव अर्थक्षमता अन्तर के निधिकरण की योजना की अपेक्षाओं को पूरा करता है और अनुमोदन समिति द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। यह सुविधा वैकल्पिक है और यदि आवश्यक हो तो इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अर्थक्षमता अनुदान निधिकरण प्रदान करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन समिति द्वारा विचार करने हेतु सीधे भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह सारांश योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं को एक साथ प्रस्तुत करता है। आशा की जाती है कि यह सारांश केन्द्रीय, राज्य और नगरपालिका स्तर पर परियोजना प्राधिकरणों के लिए लाभप्रद रहेगा और योजना के लिए एक स्थानिक संदर्भ के रूप में उपयोगी होगा।

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने हेतु दिशा-निर्देश

अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण योजना

1. प्रस्तावना

1.1 केन्द्र सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं को जिन्हें सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है, वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। योजना की एक प्रति अनुबंध-I पर संलग्न है।

1.2 इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की प्राप्ति मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का नीचे उल्लेख किया गया है।

2. संस्थागत संरचना

2.1 पीपीपी को वित्तीय सहायता के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए संस्थागत ढांचा अनुबंध-II पर दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

3.1 ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सांविधिक प्राधिकरणों जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रस्तुत की गयी पीपीपी परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनके पास आधिकारिक परिसम्पत्तियां होंगी (देखिए नियम 5.1)।

3.2 इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को पीपीपी परियोजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से एक कालिक या आस्थगित रूप से अर्थक्षमता अन्तर का वित्तपोषण (वीजीएफ) मुहैया कराने के विचारार्थ समझा जाएगा (देखिए परिभाषा)।

3.3 प्रस्ताव ऐसी सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजना से संबंधित होगा जो प्रयोक्ता प्रभारों के भुगतान पर अवसंरचना सेवा की सुपुर्दगी के लिए एक ओर तो सरकारी या सांविधिक इकाई और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच संविदा या अनुदान करार पर आधारित होगा (देखिए परिभाषा)।

इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को पीपीपी परियोजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से मुहैया कराने के विचारार्थ समझा जाएगा

टिप्पणीः अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने हेतु दिशा-निर्देशों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 1/4/2005-पीपीपी दिनांक 23 जनवरी, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया है।

3.4 यह योजना तभी लागू होगी यदि संविदा/अनुदान ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी के पक्ष में प्रदान किया जाता है जिसमें 51 प्रतिशत या उससे अधिक अभिदत्त और चुकता इक्विटी का स्वामित्व में हो (देखिए परिभाषा)।

3.5 निजी क्षेत्र की कंपनी वीजीएफ के लिए तभी पात्र होगी यदि उसका चयन खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर हुआ हो और वह अनुदान अवधि के दौरान परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए जिम्मेदार हो (देखिए नियम 3.1)।

3.6 परियोजना को पूर्व निर्धारित टैरिफ या प्रयोक्ता प्रभारों के भुगतान के एवज में सेवा प्रदान करनी चाहिए (देखिए नियम 3.1)।

4. अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा मूल्यांकन और 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन

4.1 अधिकार प्राप्त संस्था की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रारूप में आर्थिक कार्य विभाग के पीपीपी प्रकोष्ठ के पास (6 प्रतियों में हार्ड और साफ्ट दोनों रूपों में) भेजा जाएगा। प्रस्ताव में सभी परियोजना करारों (जैसे कि अनुदान करार, राज्य सहायता करार, प्रतिस्थापन करार, निलम्ब लेख करार, ओ एंड एम करार तथा यथा व्यवहार्य शेयर धारक करार) और परियोजना रिपोर्ट की प्रतियां शामिल होनी चाहिए (देखिए नियम 3.1 और 5.1)।

4.2 प्रस्ताव को पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा अधिकार प्राप्त संस्था के सभी सदस्यों के पास उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया जाएगा। चार सप्ताह के अंदर प्राप्त सभी टिप्पणियों को पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों या सांविधिक प्राधिकरणों जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रत्येक टिप्पणी का लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित किया जाएगा। यदि परियोजना माडल अनुदान करार पर आधारित है तो टिप्पणियों को दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा (देखिए नियम 5.2 और 5.4)।

निजी क्षेत्र की कंपनी वीजीएफ के लिए तभी पात्र होगी यदि उसका चयन खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर हुआ हो और वह अनुदान अवधि के दौरान परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए जिम्मेदार हो

4.3 परियोजना रिपोर्ट, अनुदान करार और सहायक करारों/दस्तावेजों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियों और उन पर प्रतिक्रियाओं सहित प्रस्ताव को पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा अधिकार प्राप्त संस्था के पास विचारार्थ और 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

4.4 अधिकार प्राप्त संस्था को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पीपीपी प्रकोष्ठ यह निर्दिष्ट करेगा कि क्या प्रस्ताव योजना की अनिवार्य शर्तों के अनुरूप हैं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो उसे पीपीपी प्रकोष्ठ की टिप्पणी में निर्दिष्ट किया जाएगा। विशेष रूप से आर्थिक कार्य विभाग और व्यय विभाग प्रस्तावों की जांच यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से करेंगे कि वे योजना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप हैं। योजना आयोग परियोजना रिपोर्ट और अनुदान करार की जांच यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से करेगा कि प्रस्ताव हर दृष्टि से अनुकूल है।

4.5 अधिकार प्राप्त संस्था सिद्धान्त रूप से उस प्रस्ताव (संशोधनों के साथ अथवा उनके बिना) का या तो अनुमोदन करेगी अथवा संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण जैसी भी स्थिति होगी, को सलाह देगी कि अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण/सूचना मुहैया कराएं अथवा आवश्यक परिवर्तन करें (देखिए नियम 5.3)।

4.6 इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदन केवल इस योजना के प्रयोजनार्थ होगा। अन्य सभी सांविधिक, वित्तीय, या प्रशासनिक अनुमोदन, जहां भी व्यवहार्य होगा, प्राप्त कर लिए जाएंगे (देखिए नियम 5.6)। केन्द्र सरकार या इसकी सांविधिक इकाइयों के स्वामित्वाधीन

परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीपीपीएसी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा। तथापि, समय बचाने के लिए ये अनुमोदन साथ-साथ भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.7 यदि पीपीपी को सहायता के लिए चल रही योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अन्य किसी मंत्रालय से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही है तो प्रस्ताव को उस मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजा जाएगा। यदि मंत्रालय सिफारिश करता है कि प्रस्ताव पर इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता के लिए विचार किया जाए तो उसे अधिकार प्राप्त समिति के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा (देखिए नियम 5.7)।

4.8 अधिकार प्राप्त संस्था से स्वीकृत होने के बाद इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु परियोजना पात्र होगी।

वीजीएफ की राशि पूंजीगत सहायता के लिए निम्नतम बोली के बराबर होगी लेकिन कुल परियोजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक होगी

5. अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण

5.1 इस योजना के अन्तर्गत मुहैया करायी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा परियोजना निर्माण की अवस्था में पूंजीगत अनुदान के रूप में होगी। वीजीएफ की राशि पूंजीगत सहायता के लिए न्यूनतम बोली के बराबर होगी लेकिन कुल परियोजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक होगी। यदि प्रायोजक मंत्रालय/राज्य सरकार/ सांविधिक निकाय उक्त वीजीएफ की कुल मात्रा से अधिक किसी प्रकार की सहायता मुहैया कराना चाहता है तो यह कुल परियोजना लागत के पुनः 20 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगी (देखिए नियम 4.1 और 4.2)।

6. बोली के लिए आमंत्रण

6.1 अधिकार प्राप्त संस्था के अनुमोदन के चार महीने के अंदर परियोजना प्रदान करने के लिए संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकार या सांविधिक इकाई, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएगी। आवश्यक होने पर उस अवधि को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बढ़ाया जा सकता है (देखिए नियम 7.1)।

6.2 निजी क्षेत्र की कंपनी का चयन एक पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। बोली के लिए मानदंड, जहां अन्य सभी पैरामीटर तुलनीय होंगे, निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपेक्षित वीजीएफ की राशि होगी (देखिए नियम 6.1)।

7. अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन

7.1 अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर अथवा बढ़ायी गयी अनुमत अवधि में अग्रणी वित्तीय संस्था परियोजना का अपना मूल्यांकन (हार्ड और सॉफ्ट दोनों रूपों मे छः प्रतियों में) अधिकार प्राप्त संस्था के विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। इस मूल्यांकन के साथ अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रारूप में अद्यतन आवेदन तथा परियोजना रिपोर्ट तथा परियोजना करार संलग्न किए जाएंगे। अग्रणी वित्तीय संस्था इस आवेदन की विषय वस्तु की जांच करके अपनी सिफारिशें अधिकार प्राप्त संस्था को भेजेगी (नियम 7.2 देखें)।

7.2 अधिकार प्राप्त संस्था अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त करने से पहले परियोजना का प्रस्ताव करने वाला मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, यह प्रमाणित करेगा कि बोली प्रक्रिया इस योजना के उपबंधों के अनुरूप है और इस योजना मे विनिर्दिष्ठ सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है (नियम 6.2 देखें)।

7.3 अग्रणी वित्तीय संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच तथा अनुमोदन के लिए उपर्युक्त पैरा 4 में विनिर्दिष्ठ प्रक्रिया का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुपालन किया जाएगा।

8. अर्थक्षमता अन्तर निधि का संवितरण

8.1 संवितरण से पहले, अधिकार प्राप्त संस्था, अग्रणी वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्र की कंपनी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप से एक त्रिपक्षीय करार सम्पन्न करेंगी (नियम 8.3 देखें)

8.2 इस योजना के प्रयोजनों के लिए एक अग्रणी वित्तीय संस्था होगी जो परियोजना का वित्तपोषण करेगी और वित्तीय संस्था संघ मामले में, संघ द्वारा मनोनीत वित्तीय संस्था अग्रणी वित्तीय संस्था होगी (परिभाषा देखें)।

अग्रणी वित्तीय संस्था परियोजना के प्रयोजन के संबंध में नियमित रूप से निगरानी तथा आवधिक मूल्यांकन करेगी

8.3 अर्थक्षमता अन्तर निधियन का संवितरण निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा परियोजना के लिए अपेक्षित इक्विटी अंशदान को अभिदत्त एवं खर्च करने के बाद ही किया जाएगा और इसे उसके बाद ऋण संवितरण के लिए शेष ऋण राशि के अनुपात में जारी किया जाएगा, (नियम 8.1 देखें)।

8.4 अर्थक्षमता अन्तर निधि जब भी देय होगी अग्रणी वित्तीय संस्था को जारी कर दी जाएगी। (नियम 8.2 देखें)।

9. निगरानी

9.1 अग्रणी वित्तीय संस्था स्वीकृत माइलस्टोन और निष्पादन स्तरों पर परियोजना के अनुपालन की विशेष रूप से अर्थक्षमता अन्तर निधि के संवितरण के प्रयोजन के संबंध में नियमित रूप से निगरानी तथा आवधिक मूल्यांकन करेगी। यह संस्था अधिकार प्राप्त संस्था की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी भेजेगी (नियम 7.3 देखें)।

अनुबंध-I
योजना एवं दिशा-निर्देश अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की योजना

(क) जबकि भारत सरकार यह मानती है कि संपूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता में अत्यधिक कमी है और यह आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही है;

(ख) जबकि अवसंरचना के विकास के लिए भारी निवेशों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें केवल सरकारी वित्तपोषण से ही कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और यह भी कि निजी पूंजी के साथ-साथ उससे सम्बद्ध तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्यकुशलता को आकर्षित करने के लिए सरकार अवसंरचना के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को संवर्धित करने के लिए वचनबद्ध है; और

(ग) जबकि भारत सरकार यह मानती है कि लम्बी कार्यान्वयन अवधियों और सीमित वित्तीय प्रतिफलों के कारण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं सदैव ही वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षमता नहीं हो सकतीं और यह भी कि ऐसी परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता को सरकारी सहायता के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

(घ) इसलिए, अब भारत सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के अर्थक्षमता अन्तर को पाटने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने की निम्नलिखित योजनाओं को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के अर्थक्षमता अन्तर को पाटने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने की योजनाओं को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

1. इस योजना को अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने वाली योजना कहा जाएगा। यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित होने वाली एक प्लान योजना होगी। वर्ष दर वर्ष आधार पर वार्षिक योजनाओं में उपयुक्त बजटीय प्रावधान किए जाएंगे।

2. यह योजना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं

इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

अधिकार प्राप्त समिति से तात्पर्य सचिव (आर्थिक कार्य), की अध्यक्षता के अन्तर्गत समिति से है जिसमें सचिव, योजना आयोग, सचिव (व्यय) और इस विषय से संबंधित मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना से तात्पर्य एक ऐसी परियोजना से है जो कि सरकारी अथवा सांविधिक निकाय तथा निजी क्षेत्र कंपनी के बीच संविदा अथवा रियायत करार पर आधारित है तथा जिसका प्रयोजन प्रयोक्ता प्रभारों की अदायगी पर अवसंरचना संबंधी सेवाएं प्रदान करना है

अधिकार प्राप्त संस्था से तात्पर्य कोई संस्था, कंपनी अथवा इस योजना के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा नामजद अन्तर-मंत्रालयीन समूह से है।

अग्रणी वित्तीय संस्था से तात्पर्य वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो पीपीपी परियोजना का वित्तपोषण कर रही हैं और यदि वित्तीय संस्थाओं का ऐसा कोई संघ है तो उस संघ द्वारा नामजद कोई वित्तीय संस्था।

निजी क्षेत्र की कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें 51 प्रतिशत या उससे अधिक अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी का स्वामित्व और नियंत्रण एक निजी कंपनी द्वारा किया जाता हो।

परियोजना अवधि से तात्पर्य पीपीपी परियोजना हेतु संविदा अथवा रियायत करार की अवधि से है।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना से तात्पर्य एक ऐसी परियोजना से है जो कि सरकारी अथवा सांविधिक निकाय तथा निजी क्षेत्र कंपनी के बीच संविदा अथवा रियायत करार पर आधारित है तथा जिसका प्रयोजन प्रयोक्ता प्रभारों की अदायगी पर अवसंरचना संबंधी सेवाएं प्रदान करना है।

कुल परियोजना लागत से तात्पर्य पीपीपी परियोजना की कुल पूंजीगत लागत के न्यूनतम स्तर से है जो (क) परियोजना का स्वामित्व रखने वाले सरकारी/सांविधिक निकाय द्वारा अनुमानित हो (ख) प्रमुख वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत हो तथा (ग) वास्तविक रूप से व्यय की गई हो; लेकिन इसमें सरकारी/सांविधिक निकाय द्वारा व्यय की गई भूमि की लागत शामिल नहीं होगी; और अर्थक्षमता अंतराल निधिकरण अथवा अनुदान से तात्पर्य एकबारगी अथवा आस्थगित अनुदान से है जिसे इस योजना के अंतर्गत परियोजना को वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया गया हो।

3. पात्रता

1. इस योजना के अंतर्गत निधिकरण के लिए पात्र होने हेतु पीपीपी परियोजना को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:

क. इस परियोजना का विकास, वित्तपोषण, निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन एक मुक्त प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी अथवा सांविधिक निकाय द्वारा चुनी गई निजी कंपनी द्वारा परियोजना-अवधि के दौरान किया जाएगा लेकिन रेलवे परियोजनाओं, जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा संचालन के अधीन नहीं हैं, के मामले में अधिकार प्राप्त समिति पात्रता मानदंडों में छूट दे सकती है।

ख. पीपीपी परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक से संबंधित होनी चाहिए:

i. सड़कें, पुल, रेलवे, समुद्र पत्तन, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय जल मार्ग;

ii. विद्युत;

iii. शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा शहरी क्षेत्रों में अन्य भौतिक अवसंरचनात्मक कार्य;

iv. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाएं; तथा

v. अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा पर्यटन संबंधी अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाएं।

लेकिन अधिकार प्राप्त समिति वित्त मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त सूची में से दिए गए क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में कुछ को शामिल कर सकती है अथवा हटा सकती है।

ग. परियोजना द्वारा पूर्व निर्धारित शुल्क अथवा प्रयोक्ता प्रभार की अदायगी पर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

घ. संबंधित सरकारी/सांविधिक निकाय को कारण स्पष्ट करते हुए यह प्रमाणित करना होगाः

i. कि पीपीपी के अर्थक्षमता अंतराल को समाप्त करने अथवा घटाने के लिए टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार को बढ़ाया नहीं जा सकता;

ii. कि परियोजना की अवधि अर्थक्षमता संबंधी अन्तर को कम करने के लिए बढ़ाई नहीं जा सकती।

iii. कि पूंजी लागतें उचित हैं और ऐसी परियोजनाओं पर सामान्यतः लागू मानकों और विनिर्दिष्टियों पर आधारित हैं और अर्थक्षमता संबंधी अन्तर को कम करने के लिए पूंजी लागतों में और कमी नहीं की जा सकती।

4. सरकारी सहायता

1. इस योजना के तहत अर्थक्षमता संबंधी समग्र अन्तर संपूर्ण परियोजना लागत के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि परियोजना का स्वामित्व रखने वाला सरकारी अथवा सांविधिक निकाय, यदि वह ऐसा निर्णय ले तो अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान मुहैया करा सकता है, लेकिन यह संपूर्ण परियोजना लागत के और बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस योजना के तहत अर्थक्षमता संबंधी समग्र अन्तर संपूर्ण परियोजना लागत के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

2. इस योजना के तहत अर्थक्षमता संबंधी अन्तर का वित्तपोषण सामान्य तौर पर परियोजना निर्माण के चरण पर पूंजी अनुदान के रूप में होगा। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जा सकता है तथा मामला-दर-मामला आधार पर वित्तमंत्री के अनुमोदन से स्वीकृति दी जा सकती है।

3. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित बजटीय सीमाओं के अधीन अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु 100 करोड़ रूपए (एक सौ करोड़ रूपए) तक के अर्थक्षमता संबंधी अन्तर के वित्तपोषण की स्वीकृति दी जा सकती है। 200 करोड़ रूपए (दो सौ करोड़ रूपए) तक के प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है और 200 करोड़ रूपए से अधिक की राशियों पर वित्त मंत्री के अनुमोदन से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

4. जब तक वित्त मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो, अधिकार प्राप्त संस्थाएं संबंधित वार्षिक योजना में दिये गये बजट प्रावधानों के दस गुना समतुल्य संचयी पूंजी परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन दे सकती हैं।

5. योजना के प्रचालन के प्रथम दो वर्षों में पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली परियोजनाओं को 'पहले-आओ पहले पाओ' आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा। बाद के वर्षों में यदि आवश्यकता हो, तो निधियां अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे उपयुक्त फार्मूले के आधार पर मुहैया कराई जा सकती है जो सभी क्षेत्रों में जरूरतों को इस रूप में संतुलित करें जिससे क्षेत्रक कवरेज का आधार व्यापक हो और कुछ बड़ी परियोजनाओं द्वारा निधियों के पूर्व-क्रय को रोका जा सके।

5. परियोजना-प्रस्तावों का अनुमोदन

1. परियोजना प्रस्ताव मूल आस्तियों का स्वामित्व रखने वाले किसी सरकारी अथवा सांविधिक निकाय द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्तावों में ऊपर पैरा 3 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए आवश्यक अपेक्षित सूचना शामिल होनी चाहिए।

2. संबंधित सरकार द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित मानकीकृत/नमूना दस्तावेजों पर आधारित परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी। एकल दस्तावेज अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा की जाने वाली विस्तृत संवीक्षा के अधीन होंगे।

3. अधिकार प्राप्त संस्था अर्थक्षमता संबंधी अन्तर हेतु परियोजना प्रस्तावों पर विचार करेगा तथा पात्रता मानदंड को पूरा करने हेतु अपेक्षित विवरणों की मांग करेगा।

4. ऊपर बताये गये अनुसार विधिवत् रूप से पूर्ण, परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधिकार प्राप्त संस्था प्रायोजक सरकारी/सांविधिक निकाय को इस बात की सूचना देगी कि परियोजना इस योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु पात्र है या नहीं। यदि परियोजना 'एकल' दस्तावेजों पर आधारित हो (जो विधिवत अनुमोदित मॉडल/मानक दस्तावेज न हों) तो अनुमोदन प्रक्रिया में अतिरिक्त 60 (साठ) दिन लग सकते हैं।

5. यदि अधिकार-प्राप्त संस्था को परियोजना की पात्रता के संबंध में किन्हीं स्पष्टीकरणों या अनुदेशों की जरूरत हो तो वह उस मामले को उपयुक्त अनुदेशों के लिए अधिकार-प्राप्त समिति को सौंप सकती है।

निजी क्षेत्र की कंपनी का चयन एक पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा

6. इस योजना के अन्तर्गत दिए गए अनुमोदनों के बावजूद, केन्द्रीय सरकार अथवा इसके सांविधिक निकायों द्वारा संवर्धित परियोजनाएं समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित और कार्यान्वित की जाएंगी।

7. ऐसे मामलों में जहां अर्थक्षमता संबंधी अन्तर को वित्तपोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की किसी चल रही प्लान-योजना के तहत बजटीय व्यवस्था है, वहां ऐसी चल रही योजना और इस योजना के बीच परस्पर आवंटन अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6. सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया

1. निजी क्षेत्र की कंपनी का चयन एक पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इस बोली का मापदंड परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा अर्थक्षमता संबंधी अन्तर के वित्तपोषण हेतु अपेक्षित धनराशि होगा. जहां अन्य सभी मानदंड समान होंगे।

2. परियोजना को प्रस्तावित करने वाला सरकारी या सांविधिक निकाय यह अधिप्रमाणित करेगा कि बोली प्रक्रिया योजना के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की सूचना वह अधिकार प्राप्त संस्था को अनुदान के संवितरण से पूर्व देगा।

7. अग्रणी वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकन और मॉनीटरिंग

1. उस तारीख से जब परियोजना की पात्रता अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा संबंधित सरकारी/सांविधिक निकाय को सूचित की गई हो, चार महीने के भीतर पीपीपी परियोजना ऊपर पैराग्राफ 6 के अनुसार प्रदान की जाएगी; बशर्ते कि संबंधित सरकारी/सांविधिक निकाय द्वारा इसे आवेदन किए जाने पर, अधिकार प्राप्त संस्था इस अवधि को एक समय में अधिक से अधिक दो माह तक बढ़ा सकती है।

2. अग्रणी वित्तीय संस्था बोली पंचाट की तारीख से तीन माह के भीतर स्वयं किए गए परियोजना के मूल्यांकन को अधिकार प्राप्त संस्था के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी; बशर्ते कि संबंधित सरकारी/सांविधिक निकाय द्वारा इसे आवेदन किए जाने पर, अधिकार प्राप्त संस्था इस अवधि को एक समय में अधिक से अधिक एक महीने के लिए बढ़ा सकती है।

3. अग्रणी वित्तीय संस्था विशेष रूप से अर्थक्षमता संबंधी अन्तर के वित्तपोषण के संवितरण के प्रयोजन से, सहमत हुए मापदंडों और निष्पादन स्तरों के संबंध में परियोजना की अनुपालना की नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह अधिकार-प्राप्त संस्था को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजेगी जो अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा समीक्षा किए जाने हेतु प्रत्येक तिमाही में एक समेकित प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगी।

8. अनुदान का संवितरण

1. इस योजना के अन्तर्गत अनुदान तभी संवितरित किया जाएगा जब निजी क्षेत्र की कंपनी ने परियोजना के लिए अपेक्षित इक्विटी अंशदान अभिदत्त और खर्च कर दिया हो और उसके बाद अनुदान संवितरित किए जाने के लिए शेष ऋण संवितरणों के अनुपात में जारी किए जाएंगे।
2. अधिकार-प्राप्त संस्था अग्रणी वित्तीय संस्था को, जब भी देय होगा, अनुदान जारी करेगा और वित्त मंत्रालय से उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा।
3. अधिकार प्राप्त संस्था, अग्रणी वित्तीय संस्था और निजी क्षेत्र की कंपनी इस योजना के प्रयोजनार्थ एक त्रिपक्षीय करार निष्पादित करेंगी। ऐसे त्रिपक्षीय करार का रूप समय-समय पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत अनुदान तभी संवितरित किया जाएगा जब निजी क्षेत्र की कंपनी ने परियोजना के लिए अपेक्षित इक्विटी अंशदान अभिदत्त और खर्च कर दिया हो और उसके बाद अनुदान संवितरित किए जाने के लिए शेष ऋण संवितरणों के अनुपात में जारी किए जाएंगे

9. परिक्रामी निधि

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकार प्राप्त संस्था को 200 करोड़ रू0 (दो सौ करोड़ रू0) की एक परिक्रामी निधि मुहैया कराई जाएगी। अधिकार प्राप्त संस्था संबंधित अग्रणी वित्तीय संस्थाओं को निधियां संवितरित करेगी और उनकी प्रतिपूर्ति का दावा वित्त मंत्रालय से करेगी।

10. दिशानिर्देश

वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति और एफ0सं0 02/10/04-इन्फ्रा0 दिनांक अगस्त 19, 2004 के का0ज्ञा0 के जरिए जारी किए गए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं।

अनुबंध-II
संस्थागत ढांचा

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उन परियोजनाओं को, जो योजना में निर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड को पूरा करती है, वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए अधिकार प्राप्त समिति और अधिकार प्राप्त संस्था का गठन किया जाए

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 25 जुलाई, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में सरकारी निजी भागीदारी को अवरंचना में सहायता देने की योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उन परियोजनाओं को, जो योजना में निर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड को पूरा करती है, वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए अधिकार प्राप्त समिति और अधिकार प्राप्त संस्था का गठन किया जाए।

2. अधिकार प्राप्त समिति का गठन निम्नलिखित होगा:

   (क) सचिव (आर्थिक कार्य)

   (ख) सचिव (योजना आयोग)

   (ग) सचिव (व्यय)

   (घ) इस विषय से संबंधित मंत्रालय के सचिव

3. अधिकार प्राप्त समिति निम्नलिखित कार्य करेंगी:

   i. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम बजटीय सीमा के अधीन प्रत्येक परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए (दो सौ करोड़ रुपए) तक की राशि के अर्थक्षमता अन्तराल वित्तपोषण की मंजूरी देना। 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि होने पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से मंजूरी दी जाएगी।

   ii. एक उपयुक्त सूत्र तैयार करना जो विभिन्न क्षेत्रकों की जरूरतों में इस प्रकार संतुलन लाए जिससे क्षेत्रीय कवरेज को व्यापक आधार प्रदान किया जा सके और कुछ बड़ी परियोजनाओं द्वारा निधियों के पूर्व-क्रम से बचा जा सके।

   iii. किसी चालू योजना जिसमें अर्थक्षमता अन्तराल वित्तपोषण की व्यवस्था है, और इस योजना के बीच परस्पर आवंटन निर्धारित करना; और

   iv. अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा ऐसी सहायता की आवश्यकता पड़ने पर परियोजना की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा अनुदेश।

4. अधिकार प्राप्त संस्था का गठन निम्नलिखित होगा:

   (क) अपर सचिव (आर्थिक कार्य)

   (ख) अपर सचिव (व्यय)

टिप्पणी: इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 एफ 2/10/2004-आईएनएफ दिनांक 18 अगस्त, 2005 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(ग) योजना आयोग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम रैंक में न हो

(घ) इस विषय से संबंधित प्रमुख मंत्रालय के संयुक्त सचिव

(ड़) संयुक्त सचिव, आ0का0 विभाग, - सदस्य सचिव

5. अधिकार प्राप्त संस्था अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देगी, जिसमें प्रत्येक पात्र परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम बजटीय सीमा के अधीन, 100 करोड़ रुपए (एक सौ करोड़ रुपए) तक होगी। अधिकार प्राप्त संस्था अन्य प्रस्तावों पर भी विचार करेगी और उन्हें अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

6. पात्र क्षेत्रः इस योजना के तहत अर्थक्षमता अन्तराल वित्तपोषण के लिए पात्र क्षेत्र निम्नलिखित हैंः

i. सड़क एवं पुल, रेलवे, समुद्र-पत्तन, हवाई पत्तन, अन्तर्देशीय जलमार्ग;

ii. विद्युत

iii. शहरी परिवहन, जलापूर्ति, मल-जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी इलाकों में अन्य वास्तविक बुनियादी ढांचा;

iv. विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाएं; और

v. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र और अन्य अवसंरचना परियोजनाएं;

इसमें यह व्यवस्था है कि अधिकार प्राप्त समिति वित्त मंत्री के अनुमोदन से क्षेत्रों/उप क्षेत्रों को उपर्युक्त सूची में शामिल कर सकती है अथवा उससे हटा सकती है।

अधिकार प्राप्त समिति वित्त मंत्री के अनुमोदन से क्षेत्रों/उप क्षेत्रों को उपर्युक्त सूची में शामिल कर सकती है अथवा उससे हटा सकती है

प्रदीप कुमार देब
संयुक्त सचिव

अनुबंध-III
सरकारी निजी भागीदारी के लिए ज्ञापन

क्र0सं0	सामान्य	उत्तर
1	**परियोजना का नाम**	
1.1	सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का प्रकार (बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओएमटी आदि)	
1.2	स्थान (राज्य/जिला/कस्बा)	
1.3	परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरण जो विचाराधीन आस्तियों का स्वामित्व रखता है (नियम 5.1 देखें)	
1.4	सरकार/सांविधिक कंपनी जो अनुदान करार पर हस्ताक्षर करेगी (परिभाषा देखें)	
1.5	क्या करार/अनुदान किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को दिया जाना है (परिभाषा देखें)	
1.6	क्या निजी क्षेत्र की कंपनी परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए जिम्मेदार होगी	
2	**परियोजना विवरण**	
2.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
2.2	परियोजना का औचित्य	
2.3	संभावित विकल्प, यदि, कोई हो	
2.4	अनुमानित कुल परियोजना लागत तथा मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत इनका अलग-अलग विवरण। लागत अनुमान के आधार का भी उल्लेख करें (परिभाषा देखें)	
2.5	कितने चरणों में निवेश करना है	
2.6	परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची (पीआईएस)	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

क्र0सं0	सामान्य	उत्तर
3	**वित्त-पोषण की व्यवस्था**	
3.1	वित्तपोषण के स्रोत (इक्विटी, ऋण, बिचौलिया पूंजी आदि)	
3.2	परियोजना के राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। किन धारणाओं पर विचार चल रहा है, निर्दिष्ट करें।	
3.3	12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं	
3.4	टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा? कृपया विस्तारपूर्वक दर्शाएं	
3.5	क्या परियोजना में प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ का पूर्व निर्धारण किया गया है (नियम 3.1 देखें)	
3.6	क्या अर्थक्षमता संबंधी अन्तर को कम करने के लिए प्रभार/टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। यदि नहीं, तो कृपया परिशिष्ट 'क' के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। (नियम 3.1 देखें)	
3.7	क्या अर्थक्षमता संबंधी अन्तर को कम करने के लिए अनुदान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यदि नहीं, तो कृपया परिशिष्ट 'ख' के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। (नियम 3.1 देखें)	
3.8	क्या अर्थक्षमता अन्तर को कम करने के लिए परियोजना लागत को नियंत्रित अथवा समाप्त किया सकता है। यदि नहीं, तो कृपया परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। (नियम 3.1 देखें)	
3.9	परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए किसी वित्तीय संस्था से अनुरोध किया गया है। यदि हां, तो उनका जवाब निर्दिष्ट करें	
4	**आईआरआर**	
4.1	आर्थिक आईआरआर (यदि गणना की गई है)	
4.2	वित्तीय आईआरआर, विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो, तो पृथक पत्रक संलग्न करें)	
5	**स्वीकृतियां**	
5.1	यदि परियोजना केन्द्र सरकार अथवा इसकी सांविधिक कंपनी के स्वामित्व में है तो सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन की स्थिति निर्दिष्ट करें।	
5.2	पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति	
5.3	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृति	
5.4	राज्य सरकार से अपेक्षित अन्य सहायता	

क्र0सं0	सामान्य	उत्तर
6	**भारत सरकार की सहायता**	
6.1	परियोजना के लिए अपेक्षित अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण की संभावित राशि (मद 2.4 के प्रतिशत के रूप में दर्शाएं)	
6.2	क्या परियोजना निर्माण के स्तर पर पूंजी अनुदान के रूप में अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण का उपयोग किया जाएगा? यदि नहीं, तो कृपया वैकल्पिक प्रस्ताव का ब्यौरा प्रस्तुत करें। (नियम 4.2 देखें)	
6.3	क्या प्रयोजक मंत्रालय/राज्य सरकार/सांविधिक कंपनी ने इस योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के अलावा और कोई सहायता मुहैया करायी है? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें। (नियम 4.1 देखें)	
6.4	केन्द्र सरकार की कोई अन्य योजना है जिसके तहत यह परियोजना वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा निर्दिष्ट करें। (नियम 5.7 देखें)	
7	**अनुदान करार**	
7.1	क्या अनुदान करार विधिवत रूप से अनुमोदित मॉडल अनुदान करार पर आधारित है? यदि हां, तो एमसीए की प्रति के साथ उसका ब्यौरा (टिप्पणी के रूप में संलग्न करें) प्रस्तुत करें। (नियम 5.2 और 5.4 देखें)	
7.2	क्या एमसीए में किसी बदलाव का प्रस्ताव है? यदि हां, तो ब्यौरे-वार टिप्पणी प्रस्तुत करें (संलग्न करें)	
7.3	अनुदान करार का ब्यौरा (परिशिष्ट-घ में संलग्न)	
8	**छांटने की प्रक्रिया**	
8.1	क्या छांटने की प्रक्रिया एक चरण में अथवा दो चरणों में होनी चाहिए?	
8.2	छांटने का मानदण्ड निर्दिष्ट करें (यदि आवश्यक हो तो अलग से पत्रक संलग्न करें)	
9	**बोली का मानदण्ड**	
9.1	क्या बोली का पैरामीटर अपेक्षित न्यूनतम वीजीएफ होगा? यदि नहीं, तो बोली के पैरामीटर विनिर्दिष्ट करें (नियम 3.1 और 6.1 देखें)	
9.2	क्या वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पहले अन्य सभी शर्तें, विनिर्देशन और परियोजना करार बंद कर दिए गए हैं? यदि नहीं तो कृपया उसके औचित्य के साथ ब्यौरा प्रस्तुत करें (नियम 6.1 देखें)	
10	**अन्य**	
10.1	अभ्युक्तियां, यदि कोई हैं	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

अवसंरचना के संबंध में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण के लिए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जो..... (मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो) के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं, ...(परियोजना का नाम) को प्रस्तुत किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव उपर्युक्त योजना में विनिर्दिष्ट उपबंधों और पात्रता मानदंड को पूरा करता है।

मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वक्तव्य तथा संलग्नकों में निहित जानकारी भी सही है।

दिनांक

(अधिकारी का नाम और पदनाम तथा कार्यालय की मुहर)

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

परिशिष्ट-क

प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ से संबंधित प्रमाण-पत्र

(अवसंरचना के संबंध में पीपीपी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के नियम 3 के अधीन यथा अपेक्षित रूप से प्रस्तुत किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि:

क. अवसंरचना के संबंध में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के लिए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जो..... ..... (मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो) के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं, ...(परियोजना का नाम) को प्रस्तुत किया गया है।

ख. अद्योहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता है कि यह प्रस्ताव उपर्युक्त योजना में विनिर्दिष्ट उपबंधों और पात्रता मानदंड को पूरा करता है।

ग. परियोजना के लिए प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ..... के तहत तथा अनुसार (संगत धाराओं के साथ-साथ विधि और नियम का उल्लेख करें) निर्धारित किया गया है। संबंधित अधिनियम और नियमों की एक प्रति संलग्न है।

घ. इस परियोजना के लिए यथा निर्धारित प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ नीचे दर्शाया गया हैं (यदि आवश्यक हो, तो अलग से पत्रक संलग्न करें)

ङ. नीचे बताए गए कारणों से उपर्युक्त प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ उच्चतर स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

च. मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वक्तव्य सही हैं।

दिनांक

(अधिकारी का नाम और पदनाम
तथा कार्यालय की मुहर)

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

परिशिष्ट-ख

परियोजना के लिए अनुदान अवधि संबंधी प्रमाण-पत्र

(अवसंरचना के संबंध में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के नियम 3 के अंतर्गत यथा अपेक्षित रूप में प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि:

क. अवसंरचना के संबंध में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के लिए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जो..... ..... (मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो) के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं, ...(परियोजना का नाम) को प्रस्तुत किया गया है।

ख. परियोजना के लिए अनुदान अवधि नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।

ग. उपर्युक्त अनुदान अवधि नीचे बताए गए कारणों से बढ़ायी नहीं जा सकती है।

घ. मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वक्तव्य सही हैं।

दिनांक

(अधिकारी का नाम और पदनाम तथा कार्यालय की मुहर)

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

परिशिष्ट-ग

कुल परियोजना लागत संबंधी प्रमाण-पत्र

(अवसंरचना के संबंध में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत यथा अपेक्षित रूप में प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि:

क. अवसंरचना के संबंध में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के लिए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जो..... ..... (मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो) के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं, ...(परियोजना का नाम) को प्रस्तुत किया गया है।

ख. परियोजना के लिए अनुमानित लागत सही है और ऐसी ही परियोजनाओं के लिए सामान्यतया अपनाए जाने वाले मानकों और विनिर्देशनों के अनुसार निर्धारित की गई है। (यदि कोई ब्यौरा प्रस्तुत करना है, तो अलग से पत्रक संलग्न करें)

ग. उपर्युक्त कुल परियोजना लागतें नीचे बताए गए कारणों से कम नहीं की जा सकती हैं (यदि आवश्यक हो, तो अलग से पत्रक संलग्न करें)

घ. मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वक्तव्य सही हैं।

दिनांक

(अधिकारी का नाम और पदनाम
तथा कार्यालय की मुहर)

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

परिशिष्ट-घ

अनुदान करार का संक्षिप्त विवरण

क. प्रायोजक मंत्रालय

ख. परियोजना का नाम और स्थान

ग. कानूनी सलाहकार

घ. वित्त सलाहकार

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण
1	**सामान्य**		
1.1	परियोजना का व्याप्ति क्षेत्र (कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)		
1.2	प्रदान किए जाने वाले अनुदान का प्रकार		
1.3	अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य		
1.4	अनुमानित पूंजी लागत		
1.5	संभावित निर्माण अवधि		
1.6	अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, यदि कोई हों		
1.7	भूमि अधिग्रहण की स्थिति		
2	**निर्माण और प्रचालन एवं अनुरक्षण**		
2.1	निर्माण की मानीटरी; क्या इसके लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर को लगाया गया है		
2.2	प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी न्यूनतम मानक/निष्पादन मानक		
2.3	निर्धारित प्रचालन और अनुरक्षण मानकों/निष्पादन मानकों का उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां		
2.4	संरचनाओं, प्रयोक्ताओं और निर्माण कार्यों से संबंधित सुरक्षा प्रावधान		
2.5	सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर शास्तियां		
2.6	पर्यावरण संबंधी प्रावधान		
3	**वित्तीय**		
3.1	वित्तीय समापन के लिए अधिकतम अवधि		
3.2	नियत पूंजी अनुदान/सब्सिडी का प्रकार और सीमा		
3.3	बोली मापदण्ड (पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य मापदण्ड)		
3.4	व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ हेतु प्रावधान		
3.5	अनुदानग्राही द्वारा देय शुल्क, यदि कोई हो		

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण
3.6	अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क		
3.7	उल्लेख करें कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया गया है; प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियमों/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति		
3.8	कम राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
3.9	विलेख खाते के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो		
3.10	बीमा के संबंध में प्रावधान		
3.11	लेखा-परीक्षा और दावों के प्रमाणन संबंधी प्रावधान		
3.12	समनुदेशन/उधारकर्ता से संबंधित प्रतिस्थापन अधिकार संबंधी प्रावधान		
3.13	कानून में संशोधन संबंधी प्रावधान		
3.14	समापन/अवधि की समाप्ति पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान; यदि कोई हो		
3.15	सरकार की आकस्मिक देयताएं		
	क. सरकार/प्राधिकरण से चूक होने पर अधिकतम समापन भुगतान		
	ख. अनुदानग्राही से चूक होने पर अधिकतम समापन भुगतान		
	ग. करार के अंतर्गत विचाराधीन किसी अन्य शास्ति, क्षतिपूर्ति अथवा भुगतान का उल्लेख करें		
4	**अन्य**		
4.1	प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हों		
4.2	विवाद समाधान प्रणाली निर्दिष्ट करें		
4.3	शासी कानून और अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करें		
4.4	अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों		

त्रिपक्षीय करार

[.....], [200 .....] के [.....] दिवस को नई दिल्ली किया जाता है।

मध्य

1. [.....,.....विभाग,.....मंत्रालय] भारत सरकार, नई दिल्ली (इसमें इसके पश्चात इसे 'सशक्त संस्था', कहा गया है) की ओर से [.....] कार्य करते हुए,

2. [.....] संस्था की ओर से और अनुसूची में उधार देने वाले के रूप में सूचीबद्ध उधार देने वालों के लिए (इसमें इसके पश्चात इसे 'अग्रणी संस्था' कहा गया है) और इसका पंजीकृत कार्यालय [.....] स्थित है और इसका प्रधान प्रशासनिक कार्यालय [.....] स्थित है, कार्य करते हुए,

   और

3. [.....लिमिटेड], जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित और विद्यमान कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय [.....] स्थित है, इसके निदेशक मंडल की [.....] को आयोजित बैठक में पारित किए गए संकल्प द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत इसके निदेशक [श्री ....], (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अनुदानग्राही' कहा गया है) की ओर से कार्य करते हुए,

   ('सशक्त संस्था', 'अग्रणी संस्था' और 'अनुदानग्राही' अभिव्यक्तियों में उनके संबंधित उत्तराधिकारी शामिल होंगे, और उन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'पक्षकार' और एक को भी 'पक्षकार' कहा गया है)

के बीच और

[....., जो .....अधिनियम,..... ..... के उपबंधों के अधीन/.....राज्य के उसके .....के माध्यम से गठित एक सांविधिक निकाय है] पुष्टि करने वाले पक्ष (स्वामी) के साथ।

टिप्पणीः इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 3ए/1/2008-पीपीपी दिनांक 23 मई, 2008 के तहत अधिसूचित किया गया है।

जबकि

क. स्वामी ने, नोटिस आमंत्रण विवरणिका सं0 .....तारीख..... ..... ('टेंडर नोटिस') के अनुसरण में, तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तें और निबंधन अधिकथित एवं विहित किए थे तथा 'बनाना, संचालित करना एवं अंतरित करना' आधार पर ..... [परियोजना का नाम] (इसमें इसके बाद इसे परियोजना कहा गया है) के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए बोलियां आमंत्रित की।

ख. स्वामी ने, इस प्रकार प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद, [.....] और [.....] से बने कंसोर्टियम की बोली स्वीकार की थी और उसके परिणामस्वरूप अनुदानग्राही, जिसे परियोजना निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कंसोर्टियम द्वारा प्रमोट किया गया है, के साथ अनुदान करार किया है (जैसा कि इसमें इसके बाद परिभाषित किया गया है), जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न और अनुबंध 'क' के रूप में चिह्नित की गई है।

ग. केन्द्रीय सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी से प्रारंभ की जाने वाली आधारभूत परियोजनाओं में वित्तीय सहायता के लिए 'आधारभूत संरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता योजना' नामक एक योजना अधिसूचित की है।

घ. इस योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के लिए विचार की जाने वाली परियोजना के लिए स्वामी द्वारा किए गए आवेदन ('प्रस्ताव') पर, सशक्त संस्था अनुदानग्राही को योजना के अंतर्गत और इसमें इसके पश्चात उपवर्णित सीमा एवं ढंग से अनुदान के माध्यम से और योजना के अनुसार अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण मुहैया कराने के लिए सहमत हो गई है।

ङ इस योजना के अंतर्गत, स्वामी द्वारा कतिपय अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अन्य बातों के साथ, अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान की शर्तों एवं निबंधनों में उपवर्णित त्रिपक्षीय करार करना अपेक्षित हैं।

अतः अब पक्षकार करार से एतद्द्वारा सहमत हैं और इसमें निम्नलिखित वर्णित हैं:

1. परिभाषाएं और निर्वचन

1.1 इस करार के प्रयोजनों के लिए, इसमें इसके पश्चात उन्हें निर्दिष्ट किए गए निम्नलिखित शब्दों से यह अभिप्रेत होगा:

1.1.1 '**करार**' से अभिप्रेत त्रिपक्षीय करार है,और यदि उससे संबंधित कोई संशोधन होते हैं, तो उन्हें इस संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

1.1.2 '**शेष ऋण**' से अभिप्रेत, परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण करारों के अधीन उधारकर्ताओं द्वारा अनुदानग्राही को मुहैया कराने वाले सहमत शेष मूल धन से है और जो उधारकर्ताओं द्वारा, अनुदानग्राही के अंशदान दिए जाने तथा परियोजना के लिए अपेक्षित इक्विटी योगदान दिए जाने के बाद, अनुदानग्राही को संवितरित किए जाने के लिए शेष रहता है।

1.1.3 '**अनुदान करार**' से अभिप्रेत स्वामी और अनुदानग्राही के बीच किए गए अनुदान करार (तारीख.....) से है, और उसमें उससे संबंधित सभी अनुबंध एवं परिशिष्ट और उसमें इसकी ओर से अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए गए तत्संबंधी संशोधन शामिल होंगे परंतु इसके पश्चात किए गए तत्संबंधी कोई भी संशोधन, जो उसकी किसी भी शर्त एवं निबंधन को सारभूत ढंग से परिवर्तित करते हैं, सशक्त संस्था और केन्द्रीय सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे, जब तक कि सशक्त संस्था द्वारा पहले से अनुमोदन नहीं कर दिया गया हो।

1.1.4 '**कुल परियोजना लागत**' से अभिप्रेत परियोजना की निम्नलिखित कुल पूंजीगत लागत के न्यूनतम से है:

(क) स्वामी द्वारा यथा आकलित (.....रुपए) (केवल .....रुपए)

(ख) अग्रणी संस्था द्वारा, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित वित्तीय पैकेज में यथा अंतर्विष्ट (.....रुपए) (केवल.....रुपए); और

(ग) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित के संबंध में वास्तविक रूप से दी गई राशि,

परंतु परियोजना में शामिल भूमि की लागत शामिल नहीं होगी।

1.1.5 '**अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण**' से अभिप्रेत आधारभूत संरचना में सरकारी निजी भागीदारी (वाली परियोजनाओं) के लिए वित्तीय सहायता संबंधी दिशानिर्देशों, जो 12/01/2006 को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/5/2005-पीपीपी द्वारा अधिसूचित किए गए थे, में उल्लिखित योजना के अधीन एवं उसके अनुसार तथा इस करार के खंड 2.1 में यथानिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय किए जाने वाले अनुदान से है।

1.2 इस करार में मोटे अक्षरों से शुरू होने वाले या मोटे अक्षरों में है (अंग्रेजी में) जो इसमें परिभाषित नहीं है परंतु अनुदान करार में परिभाषित हैं, शब्दों और अभिव्यक्तियों से अभिप्रेत, इस करार में क्रमशः उनको निर्दिष्ट किए अनुसार, होगा जब तक कि संदर्भ के विरूद्ध न हो।

1.3 इस करार में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) सांविधिक उपबंध से संबंधित किसी संदर्भ में ऐसा उपबंध शामिल होगा जैसाकि समय-समय पर संशोधित या पुनः अधिनियमित या समेकित किया जाता है जहां तक कि ऐसा संशोधन या पुनः अधिनियमन या समेकन इसके अंतर्गत हुए लेनदेन करने के लिए किया जाता है अथवा करने में सक्षम है;

(ख) एक वचन अभिप्रायः वाले शब्दों में बहुवचन और एकवचन दोनों शामिल होंगे, तथा नैसर्गिक व्यक्तियों से अभिप्रेत शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, भागीदारी, फर्म, कंपनी, निगम, संयुक्त उद्यम, न्यास, संस्थाएं, संगठन अथवा अन्य प्रतिष्ठान भले ही उसकी पृथक कानूनी सत्ता हो या नहीं, शामिल होंगे;

(ग) शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और उनका उपयोग इस करार को करने अथवा इसके निर्वचन में नहीं किया जाएगा अथवा उनका प्रभाव इस करार के संबंध में नहीं होगा;

(घ) इस करार में प्रयुक्त मोटे अक्षरों (अग्रेंजी में) वाले ओर परिभाषित शब्दों से वही अभिप्रायः होगा जैसाकि कि इसमें उससे संबंधित उद्धृत किया गया है;

(ङ) 'सम्मिलित' और 'सहित' शब्दों का अर्थ, बिना किसी परिसीमा के लगाया जाएगा;

(च) 'दिन' से अभिप्रेत कैलेंडर दिन से होगा;

(छ) 'मास' से अभिप्रेत कैलेंडर मास से है;

(ज) किसी करार, विलेख, लिखित, लाइसेंस या किसी प्रकार के प्रलेख से अभिप्राय, ऐसे संदर्भ के समय यथासंशोधित परिवर्तित, अनुवृद्धित, आशोधित या निलंबित उस करार, विलेख, लिखित, लाइसेंस या अन्य प्रलेख के संदर्भ के अनुसार लगाया जाएगा जिससे कि इसके अधीन या इसके अनुसरण में किसी भी ढंग से सशक्त संस्था की देयताओं अथवा बाध्यताओं को बढ़ाया जा सके;

(झ) इस करार में कथन, खंड, उपखंड, पैराग्राफ, अनुबंध या परिशिष्ट से अभिप्रायः, जब तक कि सदंर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के कथनों, खंडों, उपखंडों, पैराग्राफों, अनुबंधों और परिशिष्टों से समझा जाएगा;

(ञ) किसी भी पार्टी से या पार्टी के द्वारा इस करार के अधीन या अनुसरण में अपेक्षित कोई करार, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, प्रस्थापना, नोटिस, पत्रव्यवहार, सूचना या रिपोर्ट तब ही वैध और प्रभावी होगी, जब वह ऐसी पार्टी की ओर से,

उसके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हाथ से लिखित हो, और किसी अन्य प्रकार से नहीं; और

(ट) विनिर्दिष्ट दिन या तिथि 'से' और विनिर्दिष्ट दिन या तिथि 'तक' या 'जब तक .....नहीं' से आरंभ होने वाली किसी अवधि से संबंधित संदर्भ में दोनों ऐसे दिन या तिथियां शामिल होंगी।

1.4 करार की प्राथमिकता

इस करार और

(i) अनुदान करार, या

(ii) किसी परियोजना करार

के बीच किसी विरोध की दशा में, इस करार के उपबंध अभिभावी होंगे।

2. अनुदान

2.1 सशक्त संस्था, अनुदानग्राही और स्वामी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर निर्भर करते हुए, जैसाकि कि इसमें इसके पश्चात वर्णित किया गया है, और यह विश्वास करते हुए कि वे सत्य होंगे, अनुदानग्राही को इस योजना के अधीन परियोजना के लिए इस करार और योजना में वर्णित निबंधनों एवं शर्तों पर अनुदान प्रदान करती है और अनुदानग्राही एतद्द्वारा (.....करोड़ रुपए) (केवल.....करोड़ रुपए) (वीजीएफ अनुदान) अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान की राशि का सशक्त संस्था से स्वीकार करता है। अनुदानग्राही को अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान का संवितरण, खंड 2.2 में उपवर्णित रीति के अनुसार, सशक्त संस्थान के निमित्त और उसकी ओर से अग्रणी संस्था द्वारा किया जाएगा।

2.2 अग्रणी संस्था अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान का संवितरण सशक्त संस्था के निमित्त और उसकी ओर से अनुदानग्राही को, इसमें उपवर्णित रीति के अनुसार, शेष ऋण के संवितरणों के समानुपात में करेगी और अनुदानग्राही को अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान के ऐसे प्रत्येक संवितरण के पश्चात, इस बारे में सशक्त संस्था को अधिसूचित करेगी।

2.3 अग्रणी संस्था शेष ऋण के संविरतण के साथ-साथ उसके समानुपात में अनुदानग्राही को वीजीएफ अनुदान का संविरतण उसी रीति से करेगी जैसा कि शेष ऋण के मामले में किया जाता है और उस संवितरण पर यह माना जाएगा कि वह अनुदानग्राही को प्राप्त हो गया है।

2.4 निम्नलिखित की स्थिति में, इस करार में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी -

(i) अनुदान करार के अधीन अनुदानग्राही के अधिकारों का किसी प्रकार से निलंबन अथवा अनुदान करार का समापन, अथवा

(ii) इस करार के अधीन अनुदानग्राही के अधिकारों का किसी प्रकार से निलंबन अथवा इस करार का समापन; अथवा

(iii) अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण विषयक किसी व्यक्तिक्रम का होना,

अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान की शेष असंवितरित राशि का संविरतण, सशक्त संस्था के स्वयं के विवेक पर, रोक अथवा समापन जैसी भी स्थिति होगी, कर दिया जाएगा, इसके लिए सशक्त संस्था या अग्रणी संस्था अनुदानग्राही को या स्वामी को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराएगी। अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान की असंवितरित राशि का निलंबन अथवा समापन जैसी भी स्थिति हो, पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ माना जाएगा।

2.5 अनुदानग्राही और अग्रणी संस्था इस पर सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि क्षमता अन्तर वित्तपोषण का उपयोग कुल परियोजना लागत के केवल उस भाग का वित्तपोषण करने के

लिए किया जाएगा जो उसी अर्थक्षमता अन्तर के लिए होगा जिसके लिए अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान की आवश्यकता है और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं होगा।

2.6 अनुदानग्राही और अग्रणी संस्था स्वीकार करते हैं तथा स्वामी पुष्टि करता है कि इस योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान का संवितरण केवल तभी होगा जब अनुदानग्राही वित्तीय पैकेज के अंतर्गत अनुदानग्राही से परियोजना के लिए अपेक्षित इक्विटी अंशदान में अंशदान करता हो तथा उसका विस्तार किया हो

3. अभ्यावेदन और वारंटियां

3.1 पुष्टिकर्ता पक्षकार सशक्त संस्था और अग्रणी संस्था में क्रमशः निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है, वारंटी देता है और पुष्टि करता है:

(क) कुल परियोजना लागत में स्वामी द्वारा परियोजना में खर्च की गई भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है;

(ख) अनुदानग्राही का चयन योजना के उपबंधों के अनुरूप एक पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है;

(ग) परियोजना, अनुदान करार में यथा उपवर्णित पहले से निश्चित टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार का संदाय किए जाने पर ही सेवा प्रदान करेगी;

(घ) अनुदानग्राही को अनुदान करार के अनुसार, संदाय किए जाने वाले पूर्व निर्धारित टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभारों को उसके अनुरूप सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्थक्षमता के अन्तर को समाप्त अथवा कम करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता जिसके लिए स्वामी द्वारा योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण अनुदान हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

(ङ) अनुदान करार के अंतर्गत अनुदान अवधि को क्षमता अन्तर कम करने हेतु बढ़ाया नहीं जा सकेगा, इसके लिए योजना के अंतर्गत वीजीएफ अनुदान हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

(च) कुल परियोजना लागत उचित है और यह इस परियोजना के लिए ऐसी परियोजनाओं हेतु सामान्य रूप से लागू मानकों और विनिर्देशनों पर आधारित है और इसे अर्थक्षमता अन्तर कम करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए योजना के अंतर्गत वीजीएफ अनुदान हेतु स्वामी द्वारा आवेदन किया जाना आवश्यक होगा।

(छ) कुल परियोजना लागत अथवा उसके किसी एक भाग की लागत को पूरा करने के लिए, स्वामी द्वारा अनुदान ग्राही को किए गए अनुदान अथवा इसके बाद किए जाने वाले अनुदान समग्र रूप से कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

3.2 अनुदान ग्राही सशक्त संस्था और अग्रणी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है और गारंटी देता है कि:

(क) यह विधिवत संगठित है और भारत में कानूनों के अंतर्गत वैध रूप से विद्यमान है तथा इसे इस करार के अधीन अपने दायित्वों को निष्पादित एवं कार्यान्वित करने और एतद्द्वारा अपेक्षित लेनदेन करने के पूर्ण अधिकार और प्राधिकार प्राप्त हैं:

(ख) इसने इस करार के निष्पादन एवं सुपुर्दगी को प्राधिकृत करने और इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु लागू होने वाले कानूनों के अधीन सभी आवश्यक कारपोरेट एवं अन्य कार्रवाइयां कर ली हैं;

(ग) यह करार अपने वैध, विधिमान्य और बाध्यकारी दायित्व के रूप में है जो इसकी शर्तों के अनुसार प्रवर्तनीय है और इस करार के अधीन इसके दायित्व विधि रूप से वैध, बाध्यकारी हैं जो इसकी शर्तों के अनुसार प्रवर्तनीय है;

(घ) इस करार का निष्पादन, परिदान और पालन अनुदान ग्राही के संगम ज्ञापन और संगम की किसी शर्त का अनुच्छेद या लागू किसी कानून या किसी प्रसंविदा, संविदा, व्यवस्था या समझौते अथवा किसी न्यायालय की ऐसी डिग्री या आदेश, जिसमें वह एक पक्षकार है या जिसके द्वारा इसकी सम्पत्तियां या आस्तियां या इनमें कोई बाध्यकारी अथवा प्रभावित होंगी, का विरोध नहीं होगा अथवा भंग नहीं होगा अथवा व्यतिक्रम नहीं होगा;

(ड़) सशक्त संस्था, अग्रणी संस्था और स्वामी को दी गई और इस करार की तारीख को या इससे पूर्व अद्यतन की गई सभी सूचनाएं हर प्रकार से सच्ची और सही हैं;

(च) ऐसे कोई कार्य, वाद, कार्यवाहियां या अन्वेषण लंबित नहीं हैं अथवा इसकी जानकारी में नहीं हैं जिसके कारण उसे किसी न्यायालय या अन्य किसी न्यायिक, अर्ध न्यायिक या अन्य प्राधिकरण या निकाय के समक्ष कानूनी रूप से कोई खतरा हो जिसके निष्कर्ष से यह करार भंग होने की संभावना हो;

(छ) इसने सभी लागू कानूनों और व्यवहार्य परमिटों का हर प्रकार से अनुपालन किया है;

(ज) इसने अनुदान करार या किसी परियोजना करार या वित्तपोषण करार को भंग नहीं किया है; और

(झ) इसमें या अनुदान करार में या इसके द्वारा प्रस्तुत सशक्त संस्था या स्वामी या अग्रणी वित्तीय संस्था को दिए गए अन्य किसी दस्तावेज में किसी प्रकार का असत्य या भ्रमित करने वाला कोई अभ्यावेदन या वारंटी तथ्य अन्तर्विष्ट नहीं है अथवा नहीं होगा अथवा ऐसे किसी वास्तविक तथ्य को देने से नहीं छोड़ा गया है या छोड़ा जाएगा जो ऐसा अभ्यावेदन करने के लिए आवश्यक है जो भ्रमित करने वाला नहीं होगा।

3.3 इसके अधीन कोई अभ्यावेदन करने वाले पक्षकार की जानकारी में ऐसी कोई घटना या परिस्थिति आने की स्थिति में, जो इसके पूर्वोक्त अभ्यावेदनों या वारंटियों में से कोई, इस करार के अस्तित्व के दौरान किसी समय झूठी या गलत हो, तो ऐसी पार्टी (पक्षकार) इससे संबंधित अन्य पक्षकारों को उसके बारे में तुरंत अधिसूचना देगी। गलत या झूठे पाये गए किसी अभ्यावेदन या वारंटी को ठीक करने का ऐसी अधिसूचना का कोई आशय नहीं होगा।

4. परियोजना निगरानी

4.1 अग्रणी संस्था इससे सहमत है और यह वचन देती है कि इस करार के उपबंधों के अध्यधीन अग्रणी संस्था अनुदान करार में यथा उपवर्णित स्वीकृत प्रक्रियाओं और पालन स्तरों सहित परियोजना अनुपालन की नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन करेगी तथा यह सशक्त संस्था को अनुदान करार में यथा उपवर्णित स्वीकृत प्रक्रियाओं और पालन स्तरों सहित परियोजना अनुपालन में हुई गलतियों के बारे में अथवा किसी अन्य प्रकार की त्रुटि के बारे में आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से सलाह देगी एवं अवगत करायेगी जिसमें ऐसी गलतियों या पालन न किए जाने के कारणों का संक्षिप्त विवरण होगा। पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अग्रणी संस्था इसके अधीन अपने निगरानी दायित्व के भाग के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगी;

4.1.1 अग्रणी संस्था, इस करार की तारीख से परियोजना स्थल का मासिक आधार पर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निरीक्षण करेगी और परियोजना की एक नियमित निरीक्षण लाग रिकार्डिंग प्रगति रखेगी; और

4.1.2 अग्रणी संस्था सशक्त संस्था को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें भेजेगी जिनमें गलतियों अथवा पालन न किए जाने के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी देना होगा।

5. अग्रणी संस्था की भूमिका

5.1 अनुदानग्राही और अग्रणी संस्था यह स्वीकार करते हैं और अग्रणी संस्था वीजीएफ अनुदान के विषय में सशक्त संस्था के लिए केवल न्यासी के रूप में कार्य कर रही है और उसे वीजीएफ अनुदान के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

5.2 सशक्त संस्था अग्रणी संस्था को ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विवेक का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, जो इस करार द्वारा ऐसे अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विवेक, जो इससे समुचित रूप से प्रासंगिक हो, सहित अग्रणी संस्था को प्रदत्त किए जाते हैं।

5.3 अग्रणी संस्था, इस करार के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सशक्त संस्था के हित, और सशक्त संस्था अथवा उसके नामित व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों के के एजेंट के रूप में इस करार के उपबंधों के अनुसार विश्वासपूर्वक कार्य करेगा।

5.4 अग्रणी संस्था इस करार के अनुसार अपने द्वारा किए गए सभी वीजीएफ अनुदान संवितरणों का सही लेखा जोखा रखेगी और पूर्ववर्ती माह समाप्त होते ही सशक्त संस्था को उसकी प्रति प्रत्येक मास की 15वीं तारीख तक देगी। यह प्रति अग्रणी संस्था की ओर से उसके विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित की हुई हो और इसके साथ वितरण के लिए बची वीजीएफ अनुदान की राशि की संभावित संवितरण अनुसूची दर्शाने वाला विवरण लगा हो।

5.5 अग्रणी संस्था, इसके अधीन अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते समयः

(क) अपने भाग पर, दुर्भाव या घोर उपेक्षा न होने पर, किसी ऐसे वास्तविक मामले के विषयक निर्भर रह सकेगी जिसकी युक्तियुक्त रूप से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह अनुदानग्राही की जानकारी में है और अनुदानग्राही द्वारा अथवा अनुदानग्राही के अधिकारी जो अनुदानग्राही के निदेशक मंडल द्वारा इसकी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत हों, द्वारा अनुदानग्राही की ओर से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्राप्त हो;

(ख) अपने भाग पर, दुर्भाव या घोर उपेक्षा न होने पर, किसी पत्र व्यवहार या प्रलेख यह विश्वास करके कि वह प्रामाणिक होगा, की प्रामाणिकता पर निर्भर रह सकेगी;

(ग) इसके अधीन अथवा इस संबंध में अनुदानग्राही या किसी अन्य व्यक्ति से सशक्त संस्था के न्यासी के रूप में अग्रणी संस्था द्वारा उसकी हैसियत से प्राप्त किसी नोटिस या प्रलेख की प्रति, सशक्त संस्था को इसकी प्राप्ति के 5 (पांच) कार्य दिवसों के अंदर, परिदान करेगी; और

(घ) इसके संबंध में सशक्त संस्था से अग्रणी संस्था द्वारा प्राप्त किसी नोटिस या प्रलेख की प्रति, अनुदानग्राही को उसकी प्राप्ति के 5 (पांच) कार्य दिवसों के अंदर परिदान करेगी;

5.6 अग्रणी संस्था वीजीएफ अनुदान की अनुदानग्राही को संवितरित किए जाने के लिए लंबित पड़ी राशि के संबंध में दावा न करने अथवा मुजराई बैंकर के धारणाधिकार अथवा अन्य अधिकार या उपाय के किसी अधिकार का प्रयोग न करने के लिए सहमत है। संदेह के परिहार्य के लिए, अग्रणी संस्था द्वारा एतद्द्वारा यह पुष्टि एवं सहमति दी जाती है कि ऐसी धनराशियों, यदि कोई हो, जो वीजीएफ. अनुदान के कारण सशक्त संस्था से प्राप्त होती है और अग्रणी संस्था द्वारा धारित रखी जाती हैं और अनुदानग्राही को संवितरित की जानी हैं; को अनुदानग्राही की आस्तियों के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा और सशक्त संस्था के लिए न्यास में न्यास सम्पत्ति के रूप में रखा जाएगा, और अग्रणी संस्था के दिवाला या समापन की दशा में, ऐसे दिवाले या समापन में अग्रणी संस्था की आस्तियों से पूर्णतः निकाल दिया जाएगा और सशक्त संस्था अथवा उसके नाम निर्देशिती को अंतरित कर दिया जाएगा।

6. अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण व्यतिक्रम

6.1 इस करार के अधीन अनुगामी घटनाओं को उस समय तक अनुदानग्राही द्वारा की गई व्यतिक्रम घटना (वीजीएफ डिफाल्ट) माना जाएगा जब तक कि ऐसा व्यतिक्रम अपरिहार्य घटना या सशक्त संस्था के किसी कार्य या लोभ के कारण न हुआ हो;

(क) अनुदानग्राही इस करार की शर्तों को भंग करते हुए वीजीएफ अनुदान को अग्रणी संस्था से अनुदानग्राही के खाते में अंतरित कराता है और संगत निधियों को निर्दिष्ट खाते या किसी उप खाते में, जिसमें ऐसा अंतरण किया जाना चाहिए था, 5 (पांच) कार्य दिवसों की नियत अवधि के अंदर जमा नहीं करवा पाता है; अथवा

(ख) अनुदानग्राही इस करार के किसी उपबंध(धों) को भंग करता है अथवा किसी अन्य प्रकार से भंग करवाता है; या

(ग) अनुदानग्राही का कोई अभ्यावेदन और वारंटी किसी समय मिथ्या या गलत पायी जाती है और वह 5 (पांच) कार्यदिवसों की नियत अवधि के अंदर उसे ठीक नहीं कर पाता है; अथवा

(घ) स्वामी कोई अभ्यावेदन और वारंटी किसी समय मिथ्या या गलत पायी जाती है और वह 5 (पांच) कार्यदिवसों की नियत अवधि के अंदर उसे ठीक नहीं कर पाता है; अथवा

(ड.) अनुदानग्राही अनुदान करार के अधीन अनुदानग्राही व्यतिक्रम करता है जब तक कि ऐसा व्यतिक्रम केवल अनुदान करार के भंग किए जाने अथवा अपरिहार्य घटना हो जाने के कारण न हुआ हो; अथवा

(च) अनुदानग्राही को अक्षय या दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है अथवा परिसमाप्त करने का आदेश दिया जाता है अथवा इसे प्राप्त करने का प्रभावी संकल्प पारित किया जाता है अथवा अनुदानग्राही के लिए या उसकी संपूर्ण आस्तियों या आस्तियों के तात्विक भाग के लिए प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जाता है।

6.2 वीजीएफ व्यतिक्रम हो जाने पर, उसके परिणामों को अनुदानग्राही द्वारा अनुदान करार का तात्विक भंग समझा जाएगा तथा उसे अनुदान करार के अधीन अनुदानग्राही व्यतिक्रम माना जाएगा और तदनुसार अनुदान करार के अधीन ऐसे भंग के लिए अनुदान करार के अधीन और इसके उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

7. करार की अवधि

7.1 यह करार और इसका कार्यान्वयन प्रवृत्त और प्रभावी होगा और उस समय तक, जब तक कि अग्रणी संस्था अथवा सशक्त संस्था के अनुदानग्राही दायित्वों का निर्वहन किया जाता रहेगा, अथवा इसकी तारीख से सात वर्षों की अवधि, जो अधिक लम्बी हो, पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा।

8. क्षतिपूर्ति

8.1 अनुदानग्राही, सशक्त संस्था और अग्रणी संस्था को इस करार अथवा किसी परियोजना करार के अनुदान करार अथवा वित्तपोषण करार के किसी का अनुदानग्राही द्वारा भंग किए जाने या लागू विधियों या लागू अनुज्ञापत्रों का पालन करने में अनुदानग्राही के विफल हो जाने अथवा वीजीएफ अनुदान के संवितरण या संवितरण के किसी भाग को संवितरित के किए जाने में विफल हो जाने के कारण उद्भूत किसी हानि, क्षति, लागत एवं व्यय और तृतीय पक्षकार दावों के लिए सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों या इनमें से किसी के बावत क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा करेगा और उनको अपहानि नहीं होने देगा।

8.2 अग्रणी संस्था, इस करार के अधीन अग्रणी संस्था, इसके अधिकारियों, सेवकों, एवं एजेंटों द्वारा अपने विधिसम्मत कृत्यों का निर्वहन करने में किए गए कार्यों से उद्भूत किसी हानि, क्षति, लागत एवं व्यय से भिन्न, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो जाने से उद्भूत किसी हानि, क्षति, लागत एवं व्यय के लिए सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तृतीय पक्षकार दावों या इनमें से किसी के बावत सशक्त संस्था को हर समय क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा करेगी और उसे अपहानि नहीं होने देगी।

8.3 सशक्त संस्था, इस करार के अधीन सशक्त संस्था, इसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा अपने विधिसम्मत कृत्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उद्भूत किसी हानि, क्षति, लागत और व्यय से भिन्न, सशक्त संस्था के निमित्त और उसकी ओर से इसके अनुसार वीजीएफ अनुदान के संवितरण के कारण या सशक्त संस्था का अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो जाने अथवा इस करार के अनुसार दिए गए सशक्त संस्था के किसी निदेश का अग्रणी संस्था द्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण हुए किसी हानि, क्षति, लागत एवं व्यय के लिए सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तृतीय पक्षकार दावों अथवा इनमें से किसी के बावत अग्रणी संस्था की हर समय क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा करेगी और उसे अपहानि नहीं होने देगी।

8.4 यदि एतद्द्वारा कोई पक्षकार कोई तृतीय पक्षकार जिसके संबंध में वह इसके अधीन क्षतिपूर्ति की प्रसुविधा के लिए हकदार है अथवा जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति के लिए हकदार ('क्षतिपूरित पक्षकार') है, से दावा प्राप्त होने की स्थिति में, वह अन्य पक्षकार, जो दावा प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, को अधिसूचित करेगा और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, दावे का निपटान या संदाय नहीं करेगा, इस पक्षकार की स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका या बिलम्बित नहीं किया जाएगा। क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार द्वारा दावे का विरोध या विवाद करने की दशा में, वह क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार के नाम से कार्यवाहियां संचालित कर सकेगा और उसका विरोध करने में अंतर्ग्रस्त सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार किसी दावे का विरोध करने में हर प्रकार का सहयोग और मदद देगा और ऐसी लिखतों और प्रलेखों पर हस्ताक्षर करेगा जैसा कि क्षतिपूर्ति करने वाले पक्षकार को जरूरी हो।

9. विवाद समाधान

9.1 इस करार से या करार के संबंध में उद्भूत किसी विवाद, मतभेद या दावे, जो इसकी सूचना के (.....) दिनों के अन्दर सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जाता है, का समाधान अंततः तीन सदस्यीय मध्यस्थ बोर्ड के माध्यस्थम संदर्भ द्वारा किया जाएगा। यह बोर्ड ऐसे विवाद में दावेदार पक्षकार के एक नाम निर्देशिती सशक्त संस्था के एक नाम निर्देशिती, और अंतर्राष्ट्रीय विकल्प विवाद समाधान केन्द्र, नई दिल्ली के माध्यस्थम नियमों ('नियम') के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले तृतीय व्यक्ति से मिलकर बनेगा। ऐसा माध्यस्थम पूर्वोक्त नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा तथा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अध्यधीन होगा।

9.2 मध्यस्थ अपना सुविवेचित पंचाट देंगे और ऐसा पंचाट पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। माध्यस्थम स्थान दिल्ली होगा और माध्यस्थम की भाषा अंग्रेजी होगी।

10. प्रकीण उपबन्ध

10.1 शासकीय विधि और अधिकार क्षेत्र

इस करार में अर्थ और निर्वचन भारत की विधियों के अनुसार होगा, और दिल्ली स्थित न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र इस करार से उद्भूत अथवा इस करार से संबंधित सभी मामलों पर होगा।

10.2 प्रभुतासम्पन्न उन्मुक्ति का अधित्यजन

सशक्त संस्था बिना शर्त और अप्रतिसंहारण रूप से:

(क) सहमत है कि इसके द्वारा इस करार का निष्पादन, हस्तांतरण और पालन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किए गए और निष्पादित वाणिज्यक कार्य माना जाएगा;

(ख) सहमत है कि क्या इस करार के संबंध में अथवा इस करार द्वारा किए जाने वाले किसी संव्यवहार में इसके या इसकी आस्तियों, संपत्तियों या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही इस करार से संबंधित अथवा इस करार द्वारा विचार किए गए किसी लेनदेन के किसी अधिकार क्षेत्र में लायी जानी चाहिए, ऐसी कार्यवाहियों से किसी उन्मुक्ति (भले ही वह प्रभुतासंपन्न के किसी कारण से हो अथवा नहीं) का दावा सशक्त संस्था या इसकी ओर से इसकी आस्तियों के संबंध में नहीं किया जाएगा;

(ग) उन्मुक्ति का कोई अधिकार अधितज्य करती है जो इसे अथवा इसकी आस्तियों, सम्पत्ति या राजस्व को अब भविष्य में प्राप्त हो सकेगी अथवा जो इसे किसी अधिकार-क्षेत्र में दिया जा सकेगा, और

(घ) ऐसी कार्यवाहियों (इसके विरुद्ध या इसकी आस्तियों, सम्पत्ति या राजस्व, चाहे वह कुछ भी हो, उनके प्रयोग पर ध्यान दिए बिना, अथवा किसी आदेश या निर्णय, जो उसके सम्बन्ध में किया या दिया जा सकेगा, के सम्बन्ध में निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन सहित) के सम्बन्ध में किसी अधिकार क्षेत्र में कोई राहत देने या कोई प्रक्रिया जारी करने के लिए ऐसी कार्यवाहियों में इसके विरुद्ध किसी अधिनिर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के विषय में सामान्यतया सहमति देती है।

10.3 अनुदानग्राही के अधिकार

वीजीएफ अनुदान की शेष राशि जिसका अनुदानग्राही को संवितरण किया जाना है, सहित वीजीएफ अनुदान में अनुदानग्राही के अधिकार और उपचार इस करार में पूर्णतः उपवर्णित हैं और अग्रणी संस्था और अनुदानग्राही को वीजीएफ अनुदान की राशि, जिसका अनुदानग्राही को संवितरण किया जाना है, सहित वीजीएफ अनुदान के विरुद्ध कोई अधिकार या उपचार नहीं होगा।

10.4 संशोधन

इस करार में सभी परिवर्धन, संशोधन, अशोधन और परिवर्तन पक्षकारों और स्वामी पर केवल तभी वैध, प्रभावी और आबद्धकर होंगे जब वे लिखित में हों और उनके संबंधित विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए हों।

10.5 अधित्यजन

10.5.1 इस करार के अधीन किसी उपबन्ध या दायित्व के पालन और निष्पादन में अन्य पक्षकार द्वारा व्यतिक्रम का किसी पक्षकार द्वारा अधित्यजनः

(क) इस करार के अधीन इसके अथवा अन्य उपबंधों या दायित्वों के किसी अन्य अधित्यजन अथवा इसके अनुवर्ती व्यतिक्रम के रूप में संचालित नहीं होगा, अथवा इस अर्थ में नहीं लिया जाएगा।

(ख) प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित में न हो और पक्षकार के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न हो; और

(ग) इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी रीति से प्रभावित नहीं होगी।

10.5.2 इस करार के निबंधनों, शर्तों और उपबन्धों अथवा इसके अधीन किसी दायित्व के पालन पर जोर देने के लिए किसी पक्षकार द्वारा न तो विफलता को, न ही किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रदान किए गए समय अथवा अन्य उदारता को इसके अधीन ऐसे अंग या किसी परिवर्तन की स्वीकृति अथवा किसी ऐसे अधिकार के त्याग के अधित्यजन के रूप में माना समझा जाएगा।

10.6 कोई तृतीय पक्षकार लाभार्थी नहीं

यह करार एकमात्र रूप से पक्षकारों के फायदे के लिए है और अन्य किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को इसके अधीन कोई अधिकार नहीं होगा।

10.7 उत्तरजीविता

10.7.1 इस करार की समाप्तिः

(क) इसके अधीन पक्षकारों को किसी दायित्व से युक्ति नहीं करेगी जो स्पष्टतः या विवक्षित तौर पर इसकी समाप्ति को जीवित रखती है, और

(ख) किसी भी पक्षकार के दायित्व को स्पष्टतः सीमित करने के विषयक इस करार के किसी उपबन्ध में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समाप्ति की प्रभावकारिता या ऐसी समाप्ति से उद्भूत होने से पूर्व ऐसे पक्षकार के कार्यों या लोपों से उत्पन्न या की जाने वाली हानि या क्षति के लिए किसी भी पक्षकार को किसी दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगी।

10.7.2 इस करार के रद्दकरण, अवसान या समाप्ति जीवित रखने वाली सभी बाध्यताएं, इस करार की ऐसी समाप्ति या अवसान की तारीख की अगली तारीख से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही जीवित रहेंगी।

10.8 पृथक्करण

यदि किसी कारण, चाहे वह कुछ भी हो, से इस करार का कोई उपबन्ध अविधिमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो या हो जाता है अथवा सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा अविधिमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित कर दिया जाता है, तो शेष उपबन्धों की विधिमान्यता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी रीति से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे जिससे कि एक या एक से अधिक उपबन्धों, जिन्हें ऐसे अविधिमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध उपबन्धों के स्थान पर रखा जा सकेगा, के लिए सहमति, जहां तक ऐसे अविधिमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय उपबन्धों के लिए निकटतम रूप में संभव हो, बन सके। किसी ऐसे उपबन्धों की सहमति के विषयक विफल होने पर, इस करार के खण्ड 10.1 के अधीन अथवा किसी अन्य प्रकार से विवाद का समाधान नहीं किया जाएगा।

10.9 उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि

यह करार पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुज्ञाप्राप्त प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगा और इनकी प्रसुविधा के लिए लागू होगा।

10.10 नोटिस

इस करार के अधीन दिए अथवा किए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य पत्र-व्यवहार लिखित में होंगे जो या तो व्यक्तिगत रूप से या कुरियर द्वारा या पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे जिनकी अनुलिपि अतिरिक्त प्रति के रूप में भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्षकार की सेवा के लिए पता और

अनुलिपि संख्या इसके साथ संलग्न हस्ताक्षर किए गए। पेज पर इसके नाम के नीचे वर्णित की जाती है। नोटिस इसकी वास्तविक प्राप्ति से प्रभावी होगा, जहां यह किसी कार्य दिवस को सायं 5.30 (साढ़े पांच बजे) के बाद अथवा ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं होता है, प्राप्त होता है, उसके सिवाय, नोटिस को वास्तविक प्राप्ति की तारीख से आगामी प्रथम कार्य दिवस को प्राप्त हुआ समझा जाएगा। पूर्वगामी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुलिपि द्वारा नोटिस अथवा पत्र व्यवहार देने या करने वाला पक्षकार ऐसा नोटिस या पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इसकी प्रति अविलम्ब व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द करेगा या कुरियर से या पंजीकृत डाक से भिजवाएगा। इसकी एतद्द्वारा सहमति दी जाती है और पुष्टि की जाती है कि कोई भी पक्षकार, जिसे ऐसे नोटिस और पत्र सुपुर्द किए जाने या डाक से भेजे जाने हैं, नोटिस द्वारा पता बदल सकेगा। सभी पक्षकारों के ध्यान में यह बात लाए जाने पर ही ऐसा परिवर्तन प्रभावी होगा।

10.11 भाषा

इस करार के अधीन अथवा इसके संबंध में सभी नोटिस, प्रमाणपत्र, पत्र-व्यवहार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगे।

10.12 प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्षकार लिखित में नोटिस द्वारा, अपने संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिनके माध्यम से सभी प्रकार का पत्र व्यवहार किया जाएगा, निर्दिष्ट करेंगे। इससे संबद्ध पक्षकार को इसी प्रकार की सूचना देकर ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि हटाने और/या इसके स्थान पर दूसरा रखने या नया व्यक्ति प्राधिकृत करने का हक होगा।

10.13 मूल प्रलेख

यह करार चार प्रतिलेखों में निष्पादित किया जा सकेगा, जिनमें से हर एक निष्पादित और परिदत्त होने पर इस करार को मूल माना जाएगा।

10.14 पुष्टि करने वाला पक्षकार

स्वामी ने इस करार पर, इसमें वर्णित स्वामी के प्रतिनिधियों और वारंटियों की सांकेतिक पुष्टि में पुष्टि करने वाले पक्षकारों के रूप में, हस्ताक्षर किए हैं और इसकी शर्तों का अनुसमर्थन किया है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इससे संबंधित पक्षकरों ने ये विलेख सबसे ऊपर लिखे दिवस, मास और वर्ष को निष्पादित किए हैं।

अग्रणी संस्था के निमित्त और उसकी ओर से
द्वाराः
नामः
पदनामः

अनुदानग्राही के निमित्त और उसकी ओर से
द्वाराः
नामः
पदनामः

अधिकार प्राप्त संस्था के निमित्त और उसकी ओर से
द्वाराः
नामः
पदनामः
निम्नलिखित की उपस्थिति मेंः

1. ----------

2. ----------

मालिक के प्रतिवेदनों एवं वारण्टियों की और इसमें दी गई शर्तों की सांकेतिक पुष्टि और अभिपुष्टि करते हुए
द्वाराः
नामः
पदनामः
निम्नलिखित की उपस्थिति मेंः

1. ----------

2. ----------

योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विषय पर जनवरी 23, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में यह ध्यान दिया जाए कि भारत सरकार अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण की योजना के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त संस्था को औपचारिक अनुरोध करने से पूर्व सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के प्रायोजक यदि चाहें तो योजना की अनिवार्य शर्तों पर आधारित अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण की योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए अर्थिक कार्य विभाग को परियोजना की परिकल्पना प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में प्रस्ताव को संलग्न प्रोफार्मा में आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया जाए। विधिवत भरे हुए प्रोफार्मा की प्राप्ति के 7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर आर्थिक कार्य विभाग परियोजना प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा कि क्या परियोजना प्रस्ताव को अधिकार प्राप्त संस्था के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रस्ताव बीजीएफ योजना के अन्तर्गत परियोजना की ग्राह्यता के संबंध में उठने वाले संदेहों के मामले में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्थिक कार्य विभाग से प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर परियोजना प्राधिकरण तब विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करेगा और सहायक दस्तावेजों के साथ अधिकार प्राप्त संस्था के विचारार्थ 23 जनवरी की समसंख्यक अधिसूचना में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा।

अरविन्द मायाराम
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणीः इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 एफ 1/4/2005-पीपीपी दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया है।

अर्थक्षमता अन्तर निधियन योजना आर्थिक कार्य विभाग को ज्ञापन

परियोजना का नाम:

राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना	
आवेदक का नाम	
प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
प्रायोजक प्राधिकारी	
कार्यान्वयन एजेंसी	
स्थान	
क्षेत्र	
प्रस्तावित कार्यकलाप	
सरकारी निजी भागीदारी के कार्यकलाप	
मांगा गया अर्थक्षमता अन्तर निधियन का प्रकार	

क. अन्तर क्षमता निधियन योजना की शर्तें

क्र0सं0	शर्तें	अभियुक्तियां
1.	क्या सरकार अथवा सांविधिक कंपनी द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं जो विचाराधीन आस्तियों का स्वामित्व रखते हैं?	
2.	क्या निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा परियोजना अवधि के लिए किसी परियोजना का कार्यान्वयन अर्थात विकास, वित्तपोषण, निर्माण, प्रबंधन और प्रचालन किया जाना है।	
3.	क्या परियोजना दिशा-निर्देशों मे चिन्हित किए गए क्षेत्रों से है।	
4.	क्या निजी क्षेत्र की कंपनी को सरकार अथवा सांविधिक कंपनी द्वारा चयन किया जाएगा जो पारदर्शी तथा खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना का स्वामित्व रखेगीं।	
5.	क्या परियोजना पूर्व निर्धारित टैरिफ अथवा प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान के अंतर्गत सेवा मुहैया कराता है।	
6.	क्या प्रयोक्ता प्रभार/टैरिफ, सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।	

क्र0सं0	शर्तें	अभियुक्तियां
7.	क्या सरकार/सांविधिक कंपनी द्वारा (अथवा समर्थ होंगे) तैयार प्रस्ताव कारणों सहित सत्यापित किए गए हैं। i. जो टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार सरकारी निजी भागीदारी की अतंर क्षमता को हटाने अथवा घटाने के लिए वृद्धि नहीं कर सकते हैं;	
	ii. जो अर्थक्षमता अन्तर को कम करने के लिए परियोजना अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है; iii. परियोजना लागत जो उचित है और ऐसी परियोजनाओं के लिए सामान्यतः लागू होने वाले मानकों और विर्निदेशनों पर आधारित होते हैं तथा जिसमें अर्थक्षमता अन्तर को कम करने के लिए पूंजी लागत पर आगे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।	
8.	क्या कुल अर्थक्षमता अन्तर निधियन, दिशा-निर्देश में निर्दिष्ट किए गए अन्तर के अंतर्गत हैं।	
9.	क्या प्रस्तावित परियोजना संबंधित सरकार द्वारा पूर्णतः अनुमोदित किए गए मानकीकरण/मॉडल दस्तावेजों पर आधारित है। (अथवा होगा)	

ख. अन्य परियोजनाओं से संबंधित सूचना (यदि उपलब्ध हो)

क्र0सं0	मद	अभियुक्तियां
1.	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु0 में)	
2.	भारत सरकार द्वारा मांगा गया अर्थक्षमता अन्तर निधियन (करोड़ रु0 में)	
3.	कुल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में अर्थक्षमता अन्तर निधियन	
4.	प्रायोजक प्राधिकारी से अतिरिक्त अनुदान	
5.	निर्माण अवधि (वित्तीय समापन से)	
6.	संभावित वर्षा जिसमें अर्थक्षमता अन्तर निधियन मांगा गया है।	
7.	क्या परियोजना बिना अर्थक्षमता अन्तर निधियन के संभव होगा।	
8.	यदि नहीं, तो क्या यह अर्थक्षमता अन्तर निधियन के साथ संभव है।	
9.	अनुदान करार की स्थिति - इसे अंतिम रूप दिया गया है। - यदि नहीं, तो क्या इसको मॉडल दस्तावेजों पर आधारित होने का प्रस्ताव है।	